न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
टिब्बी, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी : सत्यनारायण आर.ए.एस.

मि०नं० – 29/2025

अनवान : –

1. पूजा पुत्री रुपराम जाति मेघवाल निवासी रामपुरा उर्फ रामसरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़
2. राहुल पुत्र रुपराम नाबालिग जरिये कुदरती वली माता रेखा पत्नी रुपराम जाति मेघवाल निवासी रामपुरा उर्फ रामसरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

प्रार्थीगण

बनाम

1. रुपराम पुत्र मनफूल जाति मेघवाल निवासी रामपुरा उर्फ रामसरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
2. तहसीलदार राजस्व टिब्बी, तहसील टिब्बी ।
3. उपपंजीयक महोदय, टिब्बी/तलवाड़ा तहसील टिब्बी ।
4. भुपेन्द्र सिंह पि0 हरवंश सिंह जाति रामदासिया निवासी रामपुरा तहसील टिब्बी।
5. बलविन्द्र सिंह

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए

उपस्थितः– श्री अरविन्द नैण अधिवक्ता प्रार्थी
श्री सुभाष गर्ग अधिवक्ता अप्रार्थी

निर्णय

दिनांक 1/7/25

प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य प्रकार है कि प्रार्थीगण सं० 1 व 2 के पिता, अप्रार्थीसं० 1 रुपराम के नाम से चकनं0 3 आर. डबल्यू डी के जमाबन्दी संवत 2075 ता 78 के खाता सं0 44/48 में कुल 1.302 है० आराजी तथा चक नं0 3 आर. डबल्यू डी के खाता सं0 88/44 में कुल 0.759 है० आराजी में 434/2061 हिस्सा आराजी दर्ज राजस्व रिकार्ड है। फोटो कॉपी जमाबन्दीयां संलग्न प्रार्थना पत्र है । प्रार्थना पत्र की दफा 2 में दर्ज आराजी पैतृक सम्पति है जो अप्रार्थी सं0 1 को प्रार्थीगण के दादा मनफूल से प्राप्त आराजी है जिसमें प्रार्थीगण का जन्म से हक व हिस्सा बनता है। प्रार्थना पत्र की दफा 2 मे दर्ज आराजी के अलावा अन्य आराजी अप्रार्थीसं० 1 के नाम से और भी दर्ज थी जिसको अप्रार्थी सं0 1 ने बैचान कर दिया है। प्रार्थना पत्र की दफा 2 मे दर्ज आराजी मे प्रार्थीगण का जन्म से हक व हिस्सा बनता है । प्रार्थना पत्र की दफा 2 मे दर्ज आराजी मे से प्रार्थीगण प्रत्येक का 1/ 3–1/3 हिस्सा का हक व हिस्सा बनता है लेकिन प्रार्थीगण के हिस्सा की आराजी प्रार्थीगण के नाम से राजस्व रिकार्ड में अंकन नही होने से प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है व प्रार्थीगण अपनी आराजी पर बैंक से ऋण लेने, पानी की बारी अपने नाम करवाने तथा अन्य वितीय संस्थाओं से मिलने वाली सुविधाओं से वंचित रहते है। इसलिए प्रार्थीगण घोषणा इस आशय की प्राप्त करने

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर
टिब्बी

के अधिकारी है कि अप्रार्थी सं० 1 रुपराम के नाम से चकनं0 3 आर. डबल्यू डी के जमाबन्दी संवत 2075 ता 78 के खाता सं0 44/48 में कुल 1.302 है0 आराजी तथा चक नं0 3 आर. डबल्यू डी के खाता सं0 88 / 44 में कुल 0.759 है0 आराजी में 434/2061 हिस्सा आराजी मे से प्रार्थीगण प्रत्येक 1 / 3-1 / 3 हिस्सा की आराजी के खातेदार काश्तकार है व इसी अनुसार रिकार्ड में अंकन कर चकनं0 3 आर. डबल्यू डी के खाता सं0 88/44 व इसी चक के खाता सं0 44 / 48 मे से अप्रार्थी सं0 1 रुपराम का हिस्सा कम करवाने के अधिकारी व दावेदार है ।

प्रार्थना पत्र की दफा 2 मे दर्ज आराजी पैतृक सम्पति है। प्रार्थना पत्र की दफा 2 मे दर्ज आराजी में प्रार्थीगण का जन्म से हक व हिस्सा बनता है । प्रार्थना पत्र की दफा 2 मे आराजी के अलावा अप्रार्थी सं० 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में अंकन थी जिसको अप्रार्थी सं० 1 द्वारा बैचान किया जा चुका है। अप्रार्थी सं० 1 जो कि नशेड़ी किस्म का व्यक्ति है तथा अपनी कुआदतों को पूरा करने के लिए प्रार्थना पत्र की दफा 2 मे दर्ज आराजी को औने पौने दामों में बैचान करने तथा प्रार्थीगण का हिस्सा मारने की फिराक में है तथा प्रार्थीगण को ऐलानियां धमकीयाँ दे रहा है कि भूमि राजस्व रिकार्ड में मेरे नाम से है तथा भूमि अपने नाम होने का नाजायज मुफाद उठाकर अपने नाम से दर्ज भूमि को बैचान करने पर आमादा है। अगर अप्रार्थी सं0 1 अपने इस गलत व विधि विरूद्ध कृत्य में कामयाब हो गया तो हम प्रार्थीगण को कभी ना पूरा होने वाला नुकसान होगा तथा प्रार्थीगण को नाहक ही मुकदमा बाजी में उलझना पड़ेगा तथा प्रार्थीगण अपने खातेदारी अधिकारों से वंचित हो जावेगें । अतः प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन, अपूर्णीय क्षति तीनो बिन्दू प्रार्थीगण के पक्ष में है । ताईद में हल्फनामा प्रस्तुत है । लिहाजा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर०टी०ए० मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थीसं० 1 रुपराम के नाम से चकनं0 3 आर. डबल्यू डी के जमाबन्दी संवत 2075 ता 78 के खाता सं0 44/48 में कुल 1.302 है0 आराजी तथा चक नं0 3 आर. डबल्यू डी के खाता सं0 88/44 में कुल 0.759 है0 आराजी में अपने नाम दर्ज 434/ 2061 हिस्सा आराजी को रहन, बैय तथा अन्य किसी प्रकार से अन्तरित करने तथा राजस्व रिकार्ड की मौजूदा स्थिति में किसी प्रकार से परिवर्तन करने से ताफैसला दावा ममनू व बाज रहे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी स0 1 की विधिवत तामिल होने के बाद भी अप्रार्थी स0 1 न तो स्वयं नही उसका कोई विधिक पैरोकार उपस्थित अप्रार्थी स0 1 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी अप्रार्थी स0 4 व 5 ने प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सीपीसी पेश किया जिस पर जवाब पेश होने के उपरांत उभयपक्ष की बहस सुनी जाकर अप्रार्थी स0 4 व 5 को पक्षकार के रूप में संयोजित किया गया अप्रार्थी स0 4 व 5 ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया कि प्रार्थना पत्र की चरण सं0 1 मे वाद माननीय न्यायालय में पेश होना स्वीकार है लेकिन प्रार्थीगण को उक्त वाद में कामयाबी की कोई उम्मीद नही

अधिकारी
सहायक कलेक्टर

Scanned with CamScanner

है क्यो कि प्रार्थीगण ने गलत तथ्यो के साथ वाद माननीय न्यायालय मे प्रस्तुत किया है जो काबिल खारीजी के है प्रार्थना पत्र की चरणसं0 2 कृषि भूमि से सम्बन्धित है लेकिन प्रार्थना पत्र की चरण सं0 2 मे वर्णित कृषि भूमि मे हम अप्रार्थीगण का हिस्सा निहित है अप्रार्थी सं0 1 का गलत हिस्सा दर्ज है। प्रार्थना पत्र की चरण सं0 3 वंशावली से सम्बन्धित है। प्रार्थना पत्र की चरण सं0 4 मे वर्णित तथ्य पैतृक सम्पति दर्ज होनी स्वीकार नही । प्रार्थीगण के वाद पेश होने से पूर्व अप्रार्थी सं0 1 ने दिनाक 15.04.2024 को जरिये पंजीबद्ध बैयनामा चक 3 आर. डबल्यू डी के जमाबन्दी संवत 2075 – 78 के खाता सं0 44 / 48 मे प०न० 223 / 352 मु0 33 किलानं0 23, 24, 25 / .759 है0 भूमि हम अप्रार्थीगण सं0 4 व 5 को विक्रय की गई थी। पंजीबद्ध बेयनामा के समय ऑनलाईन नामान्तरण करते समय .759 है0 की बजाय हम अप्रार्थीगण सं0 4 व 5 का प्रत्येक 253 / 4152 हिस्सा यानि हम दोनो अप्रार्थीगण का .096 है0 आराजी दर्ज हो गया, शेष .663 है0 हिस्सा राजस्व कर्मचारियो की वजह से दर्ज नही हुआ। हम अप्रार्थीगण मुताबिक पंजीबद्ध बेयनामा .663 हे0 आराजी के खातेदार काश्तकार है व नामान्तरण दर्ज करवाना चाहते है । हम अप्रार्थीगण का 759 हे0 का नामान्तरण मे से .663 हे0 का नामान्तरण दर्जनही होने से अप्रार्थी सं0 1 के नाम ही हिस्सा रख दिया गया । अप्रार्थी सं0 1 के नाम गलत हिस्सा 663 है० होने से हम अप्रार्थीगण का .663 है० हिस्सा अप्रार्थीगण सं० 1 ने विधिविरूद्ध तरीके से विक्रय की गई भूमि का पुनः विक्रय करवा दिया। हम अप्रार्थीगण चक नं0 3 आर. डबल्यू डी के खाता सं0 44 / 48 मे प0न0 223 / 352 मु0 33 किलान0 23, 24, 25 कुल 0.759 है0 का खातेदार काश्तकार व मुताबिक पंजीबद्ध बैयनामा नामान्तरण दर्ज करवाने के अधिकारी व दावेदार है। अप्रार्थीगण सं० 1 द्वारा वाद दायर से पूर्व बैचान की गई कृषि भूमि मे से प्रार्थीगण कोई हक व हिस्सा प्राप्त करने के अधिकारी नही है। प्रार्थीगण ने कतई गलत तथ्यो के साथ प्रार्थना पत्र पेश किया है व प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण सं० 1 के साथ दुरभि संधि कर स्थगन आदेश प्राप्त किया है। प्रार्थना पत्र की दफा 5 मे श्दर्ज तथ्य पैतृक सम्पति होना अस्वीकार है । अप्रार्थी सं० 1 द्वारा अपने नाम से दर्ज आराजी को दावा दायरी से पूर्व ही दिनांक 15. 04.2024 को जरिये पंजीबद्ध बैयनामा चक 3 आर डबल्यू डी के जमाबन्दी संवत 2075–78 के खाता सं0 44 / 48 में प0न0 223 / 352 मु0 33 किलानं0 23,24,25 / 759 है० भूमि हम अप्रार्थीगण सं0 4 व 5 को विक्रय की गई थी। पंजीबद्ध बेयनामा के समय ऑनलाईन नामान्तरण करते समय 759 है0 की बजाय हम अप्रार्थीगण सं0 4 व 5 का प्रत्येक 253 / 4152 हिस्सा यानि हम दोनो अप्रार्थीगण का .096 है० आराजी दर्ज हो गया, शेष 663 है0 हिस्साराजस्व कर्मचारियो की वजह से दर्ज नही हुआ व उक्त भूमि अप्रार्थी सं० 1 के नाम से दर्ज चली आ रही है इसलिए हम अप्रार्थीगण के पक्ष मे उक्त बैयनामा मे वर्णित शेष भूमि का

Scanned with CamScanner

नामान्तरण दर्ज न होने देने की गर्ज से प्रार्थीगण ने अप्रार्थी सं0 1 से मिलकर दुरभि संधि का गलत व मिथ्या आधारो पर एकतरफा स्थगन आदेश प्राप्त किया है। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन, व अपूर्णीय क्षति, तीनो बिन्दू प्रार्थीगण के पक्ष में ना होकर हम अप्रार्थीगण के पक्ष में है । ताईद में हलफनामा प्रस्तुत है। लिहाजा जबाब प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर०टी०ए० मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण के पक्ष मे जारी एकतरफा स्थगन आदेश को निरस्त किया जाकर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र सव्यय खारीज फरमाया जावे।

बहस उभयपक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सुनी गई। हमने प्रार्थना पत्र, प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का गहन अध्ययन करने के उपरान्त इस नतीजे पर पहूंचे है कि वादग्रस्त भूमि बाबत घोषणा साक्ष्य सबूतो के आधार पर मूल दावे के निर्णय में तय होना है। इस प्रकम पर मामले के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी करना उचित नही है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के दौरान केवल यह देखना है कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन किसके पक्ष में है तथा अपूर्णीय क्षति किसको होती है। प्रथम दृष्टयता पत्रावली सलंग्न दस्तावेज पंजीकृत बैयनामे दिनांक 15.04.2024 से अप्रार्थी सं0 1 ने दिनांक 15.04.2024 को जरिये पंजीबद्ध बैयनामा चक 3 आर. डबल्यू डी के जमाबन्दी संवत 2075 – 78 के खाता सं0.44/48 में प०न० 223/352 मु0 33 किलानं0 23, 24, 25/.759 है0 भूमि अप्रार्थीगण सं0 4 व 5 को विक्रय की गई थी। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजो के अनुसार वाद भूमि में अप्रार्थी स0 4 व 5 अपने बैयनामे के आधार पर नामान्तरण की मांग कर रहा है। अप्रार्थी स0 4 व 5 की उक्त भूमि जरिये पंजीकृत बैयनामे प्रतिफल देकर खरीद की है अतः उक्त रकबे की भूमि चक 3 आर. डबल्यू डी के जमाबन्दी संवत 2075 – 78 के प०न० 223/352 मु0 33 किलानं0 23, 24, 25/. 759 है0 का प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थी स0 4 व 5 के पक्ष में बनता है प्रथम दृष्टया मामले के साथ–साथ सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षतिका मामला भी प्रार्थीया व अप्रार्थी स0 4 व 5 के पक्ष में बनाता है। उक्त वादभूमि प्रार्थीया के पिता के नाम से दर्ज राजस्व रिकोर्ड है जिसमें प्रार्थीया के हक व हिस्से का निर्धारण मूल दावे में साक्ष्य सबूतो के आधार पर तय होना है अतः प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन व प्राकृतिक न्याय का सिद्धान्त प्रार्थीया व अप्रार्थी स0 4 व 5 के पक्ष में बन रहा है। प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार किया जाकर दिनाक अप्रार्थी स0 4 व 5 के बैयनाम दिनांक 15.04.2025 वादभूमि चक 3 आरडब्लयु डी के प०न० 223/352 मु0 33 किलानं0 23, 24, 25/.759 है0 की हद तक निष्प्रभावी की जाती है अप्रार्थी स0 4 व 5 बैयनाम के

अधिकारी
सहायक कलेक्टर
रिडमल

आधार पर मय 3 आरडब्ल्यू डी के पत्ता० 223/352 मु० 33 किला नं० 23, 24, 25/750 है० में नामान्तरण दर्ज करवाने हेतु स्वतंत्र रहेंगे। शेष वादभूमि में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा याचिका यथा स्वीकार (confirm) की जाती है।

यह निर्णय आज दिनांक 17/7/15 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

([illegible] R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर टिब्बी